

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

E-mail: dfonainital@gmail.com

Telefax. 05942-236790

पत्रांक:- 190 / 12-1

दिनांक 14/07/2022

सेवा में,

वन संरक्षक,  
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

**विषय :-** जनपद नैनीताल के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत बजून फगुनियाखेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.70 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

**संदर्भ :-** भारत सरकार की पत्र सं० 8बी०/यू०सी०पी०/०६/१९५/२०२०/एफ०सी०/२४८ दिनांक 26.05.2023 एवं अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल की पत्र संख्या 1499/29 एम.जी. दिनांक 26.6.2023।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयक प्रस्ताव पर आपत्तियां लगायी गयी थी, जिनका प्रतिउत्तर प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	आपत्ति	प्रतिउत्तर
1	In reply to point no. 2 and 3 of this EDS dated 19.01.2023 the state Govt. not done any necessary correction in online portal. Hence, the state Govt. is requested to do the necessary correction at Para-J of online part- I	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि पाइन्ट नं० 2 एवं 3 में ऑनलाईन पोर्टल पर आवश्यक संशोधन कर दिया गया है।
2	State Govt. is requested to mark the location of villages to be benefitted in the KML files	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि KML File पर लाभान्वित ग्रामों को प्रदर्शित कर दिया गया है।
3	In reply to point 3 of the EDS dt. 19.01.2023, the state Govt. stated that the proposed road is extended beyond the location of target village because the another road up to village "Kotali" is already been sanctioned and under process for preparation of proposal of forest diversion. In this regard the state Govt is requested to depict the Kotali village to the KML File and provide the copy of administrative approval for this road along with the status of forest case for the same road up to kotli village.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयांकित मार्ग की स्वीकृति दिनांक 24.12.2006 को प्राप्त है। तदोपरान्त मार्ग का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर वन भूमि प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया गया। बार-बार आपत्तियों में आने के कारण प्रस्ताव लम्बित रहा। इस मार्ग के आगे कोटली तक मार्ग की स्वीकृति मार्च 2023 में प्राप्त हुई है। शासनादेश की प्रति संलग्न है।
4	The State Govt. is requested to clarify that "Why it is not possible	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

	<p>to make a consolidated proposal of both the routes?</p>	<p>काफी पूर्व से गठित है। कोटली तक स्वीकृत मोटर मार्ग का अभी सर्वेक्षण कार्य किया जाना है। सर्वेक्षण कार्य एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि चयन कार्य करने में अत्यधिक समय लगेगा, जिस कारण पूर्व गठित प्रस्ताव बजून फगुनियाखेत मोटर मार्ग के प्रस्ताव की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब होगा, जिस कारण व्यापक जनहित प्रभावित होगा। विषयांकित मार्ग के निर्माण हेतु स्थानीय जनप्रतिनिधि काफी लम्बे समय से मांग कर रहे हैं। प्रस्ताव की स्वीकृति में विलम्ब होने से स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों में काफी रोष व्याप्त है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ग्राम कोटली को जोड़ते हुए संयुक्त प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जाना न्यायोचित नहीं है, जिसका प्रस्ताव अलग से प्रेषित किया जायेगा।</p>
--	--	--

संलग्नक :- उपर्युक्तानुसार 03 प्रति।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

1. प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फौरिस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रा०ख० लोक निर्माण विभाग, नैनीताल को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।